मु० नं० :- 90/2013 प्रेमचन्द वगैरा बनाम रामचन्द वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	8-1-2021 वकील उभयपक्ष उप०। पुनः बहस सुनी गई। ~~बास्त~~ प्रा०पत्र 251(A) R.T.A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

...गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 90/2013 | तारीख रजू 22.10.2013 | तारीख निर्णय 8.1.2021

1. प्रेमचन्द पुत्र रतनलाल, मीना निवासी बाढ रामसर तहसील गंगापुर सिटी
2. लक्ष्मीचन्द पुत्र रतनलाल, मीना निवासी बाढ रामसर तहसील गंगापुर सिटी
3. गुलाबचन्द पुत्र रतनलाल, मीना निवासी बाढ रामसर तहसील गंगापुरसिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द पुत्र सुखचन्द, मीना नि0 बाढ रामसर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1.हरिचरण पुत्र रामचन्द, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 गंगापुर सिटी

1/2.रामचरण पुत्र रामचन्द, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 गंगापुर सिटी

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 336 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 337 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 545 रकबा 0.21 है0 ग्राम बाढ रामसर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। भूमि ख0नं0 340 रकबा 0.31 है0 ग्राम बाढ रामसर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 337 रकबा 1.07 है0 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता ख0नं0 340 में होकर है जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। यह रास्ता आगे चलकर आम रास्ता गंगापुर से सपोटरा वाले रास्ते में मिलता है जिसे नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है। भूमि ख0नं0 340 में जो आमदरफ्त का रास्ता है वह अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि में होकर है जिसे अप्रार्थी कभी भी बन्द कर देता है जिससे प्रार्थीगण का रास्ता बन्द हो जाता है एवं प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आने जाने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी को जब रास्ता देने को कहते हैं तो अप्रार्थी झगडा करने पर उतारू हो जाता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खेतों पर नहीं आ—जा सकते हैं तथा प्रार्थीगण की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए न्यायहित में नजरी नक्शे में दर्शाए अनुसार प्रार्थीगण को ख0नं0 340 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण इसके एवज में निर्धारित राशि जमा कराने को तैयार हैं तथा इस रास्ते की भूमि को सरकारी भूमि के रूप में रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 340 रकबा 0.31 है0 ग्राम बाढ रामसर तहसील गंगापुर सिटी में से नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाए

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार रास्ता ख0नं0 337, 336, 545 में आने जाने के लिए उपलब्ध कराया जाकर रास्ते की भूमि सरकारी रास्ते के रूप में दर्ज करने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 340 में होकर प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण हमेशा से ही ख0नं0 542 में होकर अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते हैं लेकिन प्रार्थीगण व ख0नं0 542 के खातेदार आपस में मिले हुए हैं इसलिए प्रार्थीगण ने ख0नं0 542 में होकर रास्ते के लिए आवेदन नहीं किया है। यदि अप्रार्थी की भूमि में होकर रास्ता कायम कर दिया गया तो इससे अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि की उपयोगिता ही नष्ट हो जावेगी क्योंकि ख0नं0 340 का कुल रकबा ही 0.31 है0 है और उसमें से 15 फीट चौडाई का रास्ता कायम कर दिया जाता है तो खेत को जोतने बोने के लिए ट्रेक्टर इसमें नहीं चल पावेगा। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 खाता प्रार्थीगण, खाता अप्रार्थीगण, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक आर0ए0/251 ए/14/1191 दिनांक 30 जून 2014 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। जिसके साथ भू-अभिलेख निरीक्षक तलावडा द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भी संलग्न है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण भूमि ख0नं0 336 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 337 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 545 रकबा 0.21 है0 ग्राम बाढ रामसर के खातेदार काश्तकार है। इस भूमि पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण अप्रार्थी के खेत ख0न0 340 मे होकर रास्ता चाहते है जो प्रार्थीगण के खेत तक पहुचने के लिए नजदीकतम रास्ता है। प्रार्थीगण इसके लिए अप्रार्थी को डी.एल.सी. दर से राशि भी भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ख0न0 340 मे होकर 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने के लिए दिया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी के ख0न0 340 मे होकर कभी कोई रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण को उनकी भूमि ख0नं0 336 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 337 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 545 रकबा 0.21 है0 ग्राम बाढ रामसर पर जाने के लिए ख0न0 542 में होकर रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है, प्रार्थीगण ने बदनियती से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस में वकील अप्रार्थी ने यह भी कहा कि यदि न्यायालय रास्ता देना उचित मानती

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (रा0म0)

है तो अप्रार्थी की जितनी भूमि रास्ते में जाती है उतनी भूमि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलवा दी जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 340 में होकर 15 फीट चौडा रास्ता चाहते हैं जिसकी लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 4.5 मीटर है जिसका कुल क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर होता है। रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी में जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 337 से सडक पर पहुंचने हेतु ख0नं0 340 में होकर नजदीकतम रास्ता है । जहां तक अप्रार्थी के इस कथन का प्रश्न है कि प्रार्थीगण को नजदीकतम रास्ता ख0नं0 542 में होकर उपलब्ध है, यह मान्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी ने अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कोई नजरी नक्शा या अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते हैं कि प्रार्थीगण को ख0नं0 340 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिया जावे एवं इसके बदले में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 337 में से अप्रार्थी को उतनी भूमि दे दी जावे जितनी भूमि रास्ते में आ रही है। इसी अनुसार प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 340 रकबा 0.31 है0 ग्राम रामसर में से पूर्व दिशा की ओर की पूर्व–पश्चिम 4.5 मीटर चौडी व उत्तर –दक्षिण 32 मीटर लम्बी भूमि कुल 144 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थी नं0 1/1, 1/2 की खातेदारी से कम की जाकर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। इस भूमि के बदले में उतनी ही लम्बाई चौडाई की भूमि ख0नं0 339 से लगती हुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 337 में से कम की जाकर अप्रार्थी नं0 1/1, 1/2 की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जाकर पालना रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी